ालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशितः– श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
21	4.2.22	२०-५-२२

उनवान

षि कुमार उम्र करीब 33 साल पुत्र जयप्रकाश अग्रवाल कोम महाजन निवासी 241 डोबा रानी मण्डी दांतला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:–वादी

बनाम

्रकरी पुत्री दलमीर
हम्मद कुर्शेद खान पुत्र असरू खां
ात खां पुत्र दलमीर
ाहबदीन पुत्र दलमीर कौम मेव निवासी बगथला तहसील किशनगढबास जिला अलवर।
ज0 सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार किशनगढबास ।

:–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट0 1955

स्थितिः– 1.वादी की ओर से श्री अनिल गुप्ता वकील
2. प्रतिवादी सं0 2, 4 का इकबाल जवाब दावा

निर्णय

के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0 नं0 298 ़ 0.8200हे0 वाके ग्राम बगथला तहसील किशनगढबास जो कि इस वाद में विवादित ़जी कहलावेगी। विवादित आराजी वादी वो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ़दारी कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें वादी का 17/82 भाग प्रति0 1 का 1/4 , प्रति0 2 का 17/128 भाग, प्रति0 3 का 31/128 भाग व प्रति0 4 का 55/328 भाग ौर इसी कदर राजस्व रिकार्डस् में अमल हो रहा है। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी 2074–77 संलग्न है।

मिन वादी बाद खरीद अपने 17/82 भाग पर लब्बे सडक मेगा हाइवे पर काबिज होकर भोग उपयोग करता आ रहा है । दीगर हिस्सेदारान अपने अपने हिस्से पर अलग बेज है।

उपखण्ड अधिकारी

ादीगण 1 लगा 4 मिन वादी को उसके 17/82 भाग कब्बे सडक से बेदखल करना करना चाहते है जिसका उन्हे हक हासिल नही है मिन वादी ने अजखुद प्रतिवादीगण खिक विभाजन व बयनामा के मुताबिक अपना हिस्सा अलग कर कुर्रे कायम कराकर अलग कराने को व नक्शा में तितम्बा कटवाने को 20.01.2021 को कहा तो दीगण ने स्पष्ट तौर पर इन्कार कर दिया व वादी को बेदखल करने कब्जा करने व लोगो को मुन्तकिल करने की धमकी दी है इसलिये वादी को अपने हितो की रक्षार्थ प्रस्तुत करना लाजिम आया है और वादी अपने हिस्से 17/82 भाग लब्बे सडक का ट्रेस में तितम्बा कटवाकर अपना खाता अलग कराने का अधिकारी है । व ादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द कराने का अधिकारी है।

डिक्री इजराय बहक वादी पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादी बयनामा के बेक आराजी ख0 नं0 298 रकबा 0.8200हे0 वाके ग्राम बगथला तहसील किशनगढबास 17/82 भाग लब्बे सडक मेगा हाइवे का ही खातेदार है व इसी कदर कुर्रे कायम कर खाता अलग कराया जावे व नक्शा ट्रेस में दर्शाया जावे ।
प्रतिवादीगण 1 लगा0 4 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द किया जावे कि वो वादी 17/82 भाग लब्बे सडक मेगा हाईवे से बेदखल न करे ना उपभोग उपयोग मे रूकावट ना इस भाग को दीगर लोगो को खुर्द बुर्द मुन्तकिल करे।
हरजा खर्चा मुकदमा का प्रति0 से दिलाया जावे।
अन्य सहायता जो नजदीकी अदालत मुनासिब हो वादी को अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस ब किया गया। प्रतिवादी सं0 2,3 ने इकबाल जवाब दावा पेश किया। तथा प्रतिवादी सं0 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब आने के पश्चात सुना र उक्त वाद दिनांक 27.9.21 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शनढबास से कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार किशनगढबास ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2022/दिनांक 28.2.22 से कुर्रे यमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा को भिजवाई गई । कुर्रे कायमी रिपोर्ट आने पर शामिल ावली की जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन गया। तहसीलदार किशनगढबास द्वारा भिजवाई गई कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार वाद ब्राबत तकासमा आराजी फाईनल डिक्री किया जाना कानून संगत एंव न्यायोचित प्रतीत है।

्रतः आदेश है कि :–

वाद वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त ारी में रहेगीः–

वाद वादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे –

	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा
)	मोहम्मद कुर्सेद खान पुत्र असरू खां जाति मेव सा0 देह खातेदार	298/1	0.1089 हे0
	बसकरी पुत्र बलबीर हि0 2050/5411 सपात खां पुत्र दलमीर हि0 1986/5411 साहबदीन पुत्र दलमीर हि0 1375/5411 जाति मेव सा0देह खातेदार	298/2	0.5411 हे0
	ऋषि कुमार पुत्र जयप्रकाश अग्रवाल जाति महाजन सा0 241 खातेदार राहिन पूर्ण हिस्सा सा0 241 पुरानी मण्डी दांतला तह0 मुण्डावर	298/3	0.1700 हे0

तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में खाते व लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने आदेश दिये जाते है। खर्चा फैरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो। ाावित नक्शा डिक्री का जुज रहेगा । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

लय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

ां0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
।	4.2.22	20.4.22

उनवान

षे कुमार उम्र करीब 33 साल पुत्र जयप्रकाश अग्रवाल कोम महाजन निवासी 241 डोबा ानी मण्डी दांतला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:—वादी

बनाम

ाकरी पुत्री दलमीर
हम्मद कुर्शेद खान पुत्र असरू खां
ाात खां पुत्र दलमीर
ाहबदीन पुत्र दलमीर कौम मेव निवासी बगथला तहसील किशनगढवास जिला अलवर।
ज0 सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार किशनगढवास ।

:—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट0 1955

स्थितिः— 1.वादी की ओर से श्री अनिल गुप्ता वकील
2. प्रतिवादी सं0 2, 4 का इकबाल जवाब दावा

पर्चा डिक्री

' वादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि क़ारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे रहेगीः—

सं0	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा
	मोहम्मद कुर्सेद खान पुत्र असरू खां जाति मेव सा0 देह खातेदार	298/1	0.1089 हे0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढवास (अलवर)

बसकरी पुत्र बलबीर हि0 2050/5411 सपात खां पुत्र दलगीर हि0 1986/5411 साहबदीन पुत्र दलगीर हि0 1375/5411 जाति मेव सा0देह खातेदार	298/2	0.5411 हे0
ऋषि कुमार पुत्र जयप्रकाश अग्रवाल जाति महाजन सा0 241 खातेदार राहिन पूर्ण हिस्सा सा0 241 पुरानी मण्डी दांतला तह0 मुण्डावर	298/3	0.1700 हे0

तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में खाते व लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने ादेश दिये जाते है। खर्चा फैरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें। प्रस्तावित नक्शा डिकी ुज रहेगा । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)